



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-12032026-270872
CG-DL-E-12032026-270872

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 172]

नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 11, 2026/फाल्गुन 20, 1947

No. 172]

NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 11, 2026/PHALGUNA 20, 1947

भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 मार्च, 2026

सं. आरसीडी-01002/1/2021-विनियामक-एफएसएसआई.-भाग (1)—खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 (2006 का संख्यांक 34) की धारा 92 की उप-धारा (1) की अपेक्षा के अनुसार, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण की अधिसूचना संख्या फाइल सं. 15(6)2017/एफएलआरएस/आरसीडी/एफएसएसआई, तारीख 17 नवंबर, 2020 द्वारा 'खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य कारबार का अनुज्ञापन और रजिस्ट्रीकरण) संशोधन विनियम, 2020' का प्रारूप भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खंड 4 में प्रकाशित किया गया था, जिसमें इससे संभावित रूप से प्रभावित होने वाले सभी व्यक्तियों से, उस तारीख से साठ दिन की अवधि समाप्त होने से पूर्व आक्षेप और सुझाव आमंत्रित किए गए थे, जिस तारीख को उक्त अधिसूचना वाली राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी गई थीं;

और उक्त राजपत्र की प्रतियां जनता को 24 नवंबर, 2020 को उपलब्ध करा दी गई थीं;

और उक्त प्रारूप विनियमों के संबंध में जनता से प्राप्त आक्षेपों और सुझावों पर भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण द्वारा विचार कर लिया गया है;

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 31 के साथ पठित धारा 92 की उप-धारा (2) के खंड (ण) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण केंद्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से 'खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य कारबार का अनुज्ञापन और रजिस्ट्रीकरण) विनियम, 2011' में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्:—

1. (1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम **खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य कारबार का अनुज्ञापन और रजिस्ट्रीकरण) संशोधन विनियम, 2026** है।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य कारबार का अनुज्ञापन और रजिस्ट्रीकरण) विनियम, 2011 (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त विनियम' कहा गया है) में, विनियम 1.2 के उप-विनियम 1.2.1 में, खंड (4) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात्, —

4. "लघु खाद्य कारबार संचालक" से ऐसा कोई भी खाद्य कारबार संचालक अभिप्रेत है, जो स्वयं किसी भी खाद्य पदार्थ का निर्माण या विक्रय करता हो, या जो लघु खुदरा विक्रेता, पथ खाद्य विक्रेता, फेरीवाला, घुमंतू विक्रेता, अस्थायी स्टॉल संचालक या फूड ट्रक संचालक हो; या धार्मिक या सामाजिक आयोजनों में खाद्य पदार्थों का वितरण करता हो (केटरर को छोड़कर); अथवा खाद्य कारबार से संबंधित लघु-स्तरीय, कुटीर या अन्य समान उद्योगों या सूक्ष्म खाद्य कारबार में संलग्न हो।"

3. उक्त विनियम के विनियम 2.1 में, —

(क) उप-विनियम 2.1.1 में, —

(i) खंड (4) के परंतुक के पश्चात्, निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्, —

"परंतु यह और कि खाद्य प्राधिकरण आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत किए जाने पर तत्काल रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र प्रदान कर सकता है और खाद्य प्राधिकरण इस संबंध में आदेश द्वारा किसी भी शर्त या प्रक्रिया को निर्दिष्ट कर सकता है।"

(ii) खंड (6) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात्, —

"(7) पथ खाद्य विक्रेता, फेरीवाले, फूड ट्रक, कार्ट तथा ऐसा अन्य कोई भी खाद्य कारबार, जो 'पथ विक्रेता (जीविका संरक्षण पथ विक्रय विनियमन) अधिनियम, 2014 (2014 का 7)' के अंतर्गत पंजीकृत है, उसे खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के अंतर्गत पंजीकृत माना जाएगा।

परंतु छूट प्राप्त सहित खाद्य कारबार संचालकों को अनुसूची 4 में दी गई स्वच्छता और सफाई संबंधी आवश्यकताओं का पालन करना होगा।

परंतु यह और कि खाद्य प्राधिकरण इस खंड के प्रयोजन के लिए इस संबंध में कोई शर्त या प्रक्रिया निर्दिष्ट कर सकेगा।"

"(8) खाद्य प्राधिकरण समय-समय पर विभिन्न खाद्य कारबार के लिए रजिस्ट्रीकरण प्रदान करने हेतु टर्नओवर की सीमा अथवा किसी अन्य वर्गीकरण मानदंड तथा रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी को निर्दिष्ट कर सकेगा।"

(ख) उप-विनियम 2.1.2 के खंड (5) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्: -

"(6) खाद्य प्राधिकरण समय-समय पर विभिन्न खाद्य कारबार के लिए पात्रता मानदंड या शर्तों के लिए, खाद्य कारबार और अनुज्ञप्ति प्राधिकारी को आरंभ करने या जारी करने के लिए विनिर्दिष्ट कर सकेगा।"

(ग) उप-विनियम 2.1.7 के स्थान पर निम्नलिखित को रखा जाएगा, अर्थात्, —

"2.1.7 रजिस्ट्रीकरण और अनुज्ञप्ति की विधिमान्यता — (1) इन विनियमों के अधीन प्रदान किया गया अनुज्ञप्ति अथवा रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र, जब तक कि उसे अन्यथा निलंबित, रद्द या अभ्यर्पण न किया जाए, विधिमान्य एवं प्रभावी रहेगा।

(2) यदि कोई खाद्य कारबार संचालक खाद्य प्राधिकरण द्वारा निर्धारित वार्षिक अनुज्ञप्ति फीस या रजिस्ट्रीकरण फीस का भुगतान करने में विफल रहता है, या जहाँ लागू हो वहाँ 'खाद्य सुरक्षा अनुपालन रिटर्न' प्रस्तुत करने में विफल रहता है, तो उसकी अनुज्ञप्ति या रजिस्ट्रीकरण निलंबित माना जाएगा। वार्षिक फीस का भुगतान करने या उचित जुर्माने सहित रिटर्न प्रस्तुत करने के पश्चात् निलंबन रद्द कर दिया जाएगा। निलंबन की अवधि के दौरान खाद्य कारबार संचालक किसी भी खाद्य कारबार गतिविधि में संलग्न नहीं होगा। निलंबन अवधि के दौरान की गई किसी भी खाद्य कारबार गतिविधि को नियमों का उल्लंघन माना जाएगा और अधिनियम के अधीन शास्ति सहित आगे की कार्रवाई की जाएगी।

(3) कारबार बंद होने की स्थिति में, खाद्य कारबार संचालक ऐसे बंद होने की तारीख से तीस दिनों के भीतर संबंधित अनुज्ञप्ति प्राधिकारी या रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी को यथास्थिति, लिखित में सूचित करेगा और इन विनियमों के अधीन जारी किया गया रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र या अनुज्ञप्ति का अभ्यर्पण करेगा।

(4) इन विनियमों के अधीन संदत्त किसी फीस का कोई रिफंड रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र या अनुज्ञप्ति के ऐसे अभ्यर्पण पर अनुज्ञेय नहीं होगा।

(5) खाद्य प्राधिकरण इस उप विनियम के प्रयोजन के लिए कोई शर्त या प्रक्रिया विनिर्दिष्ट कर सकेगा।";

(घ) उप-विनियम 2.1.16 के पश्चात् निम्नलिखित उप-विनियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्, —

"2.1.17 निरीक्षण और संपरीक्षा — (1) खाद्य प्राधिकारी स्वयं या इस उद्देश्य के लिए प्राधिकृत एजेंसियों के माध्यम से खाद्य कारबारों का आवधिक निरीक्षण और खाद्य सुरक्षा संपरीक्षा सुनिश्चित करेगा।

- (2) खाद्य प्राधिकरण खाद्य कारबार के आवधिक निरीक्षण और खाद्य सुरक्षा संपरीक्षा की स्कीम प्रदान कर सकेगा। निरीक्षण की आवृत्ति और प्रकृति का निर्धारण गतिशील जोखिम-आधारित तंत्र, खाद्य कारबार के प्रकार, पूर्व अनुपालन इतिहास, तृतीय-पक्ष संपरीक्षा परिणामों और संबंधित खाद्य पदार्थों की जोखिम श्रेणी के आधार पर किया जाएगा।
- (3) खाद्य सुरक्षा आयुक्त अपनी-अपनी अधिकारिता में खाद्य कारबारों के आवधिक निरीक्षण के लिए खाद्य और प्रतिष्ठान से जुड़े जोखिमों के आधार पर योजनाएँ तैयार करेंगे।
- (4) अधिकारिता वाला खाद्य सुरक्षा अधिकारी या इस प्रयोजन के लिए खाद्य सुरक्षा आयुक्त द्वारा विशेष रूप से प्राधिकृत कोई अधिकारी, रजिस्ट्रीकृत या अनुज्ञप्ति प्राप्त खाद्य कारबार संचालकों का आवधिक निरीक्षण करेगा या खंड (3) के अधीन खाद्य सुरक्षा आयुक्त द्वारा यथा निर्धारित निरीक्षण करेगा।
- (5) खाद्य सुरक्षा आयुक्त या खाद्य प्राधिकरण के निर्देश पर, खाद्य कारबार संचालक को अपने खर्च पर भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण द्वारा मान्यता प्राप्त तृतीय पक्ष संपरीक्षा एजेंसी या संपरीक्षकों से खाद्य सुरक्षा संपरीक्षा करानी होगी। खाद्य कारबार संचालक संपरीक्षक के लिए उपलब्धता सुनिश्चित करेगा और उनके द्वारा अनुरोधित सभी अभिलेख उपलब्ध कराएगा।”

राजित पुनहानी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी

[विज्ञापन-III/4/असा./748/2025-26]

टिप्पणी—खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य कारबार का अनुज्ञापन और रजिस्ट्रीकरण) विनियम, 2011 भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खंड 4 में अधि. संख्या - फा. सं. 2-15015/30/2010, तारीख 1 अगस्त, 2011 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात् अधिसूचना संख्या फा.सं. 2-15015/30/2021, तारीख 10 जून, 2014, फा.सं. 2-15015/30/2021, तारीख 13 जुलाई, 2016 और फा.सं. स्टैंडर्ड्स/ओ.एंड.एफ./नोटिफिकेशन (6)/एफ.एस.एस.ए.आई., 2017, तारीख 24 अक्टूबर, 2017 द्वारा संशोधित किए गए थे।

FOOD SAFETY AND STANDARDS AUTHORITY OF INDIA

NOTIFICATION

New Delhi, the 10th March, 2026

No. RCD-01002/1/2021-Regulatory-FSSAI-Part(1).—Whereas a draft of the Food Safety and Standards (Licensing and Registration of Food Businesses) Amendment Regulations, 2020 was published, as required under sub-section (1) of section 92 of the Food Safety and Standards Act, 2006 (34 of 2006), *vide* notification of the Food Safety and Standards Authority of India number F. No. 15(6)2017/FLRS/RCD/FSSAI, dated the 17th November, 2020, in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, section 4, dated the 18th November, 2020, inviting objections and suggestions from the persons likely to be affected thereby, before the expiry of the period of sixty days from the date on which the copies of the Official Gazette containing the said notification were made available to the public;

And whereas the copies of the said notification were made available to the public on the 24th November, 2020;

And whereas, the objections and suggestions received from the public in respect of the said draft regulations have been considered by the Food Safety and Standards Authority of India;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (o) of sub-section (2) of section 92 read with section 31 of the said Act, the Food Safety and Standards Authority of India, with the previous approval of the Central Government, hereby makes the following regulations further to amend the Food Safety and Standards (Licensing and Registration of Food Businesses) Regulations, 2011, namely: -

- (1) These regulations may be called the Food Safety and Standards (Licensing and Registration of Food Businesses) Amendment Regulations, 2026.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- In the Food Safety and Standards (Licensing and Registration of Food Businesses) Regulations, 2011 (hereinafter referred to as the said regulations), in regulation 1.2, in sub-regulation 1.2.1, for clause 4, the following clause shall be substituted, namely:-

‘4. Petty Food Business Operator’ means any food business operator, who manufactures or sells any article of food himself or a petty retailer, street food vendor, hawker, itinerant vendor or temporary stall holder or food truck or distributes foods including in any religious or social gathering, except a caterer or such other food business including small scale or cottage or such other industries relating to food business or tiny food business.’;

3. In the said regulations, in regulation 2.1,-

(a) in sub-regulation 2.1.1,-

(i) in clause (4), after the proviso, the following proviso shall be inserted, namely:-

“Provided further that the Food Authority may grant registration certificate instantly on submission of requisite documents and the Food Authority may specify any condition or procedure in this regard.”;

(ii) after clause (6), the following shall be substituted, namely:-

“(7) Street food vendors, hawkers, food trucks, carts and any such other food businesses registered under the Street Vendors (Protection of Livelihood and Regulation of Street Vending) Act, 2014 (7 of 2014) shall be deemed registered under the Food Safety and Standards Act, 2006 (34 of 2006):

Provided that the food business operators, including those exempted shall comply with hygiene and sanitary requirements specified in Schedule 4:

Provided further that the Food Authority may specify any condition or procedure in this regard for the purpose of this clause;

(8) The Food Authority may specify turnover threshold or any other classification criteria and registering authority for granting registration for various food business from time to time.”;

(b) in sub-regulation 2.1.2, after clause (5), the following clause shall be inserted, namely:-

“(6) The Food Authority may specify the eligibility criteria or conditions for commencing or carrying on food businesses and Licensing Authority for various food business from time to time.”;

(c) for sub-regulation 2.1.7, the following shall be substituted, namely: -

“2.1.7 Validity of Registration and License.- (1) A license and registration certificate granted under these regulations shall be valid and subsisting, unless otherwise suspended, cancelled or surrendered.

(2) Any food business operator fails to pay the annual license fee or registration fee as specified by the Food Authority or fails to submit the return on or before the due date, wherever applicable, the license or registration shall be deemed suspended. The License so suspended shall be revoked after payment of the due annual fee or submission of the return along with due penalty, as the case may be, and during such suspension the food business operator shall not involve in any food business activity. Any food business activity carried out during the suspension period shall be deemed non-compliant of the provision of the Act and the regulations shall attract subsequent action including penalty under the Act.

(3) In the event of closure of business, the food business operator shall, within thirty days from the date of such closure, inform the concerned Licensing Authority or Registering Authority, as the case may be, in writing and surrender the registration certificate or license issued under these regulations.

(4) No refund of any fee paid under these regulations shall be admissible upon such surrender of registration certificate or license

(5) The Food Authority may specify any condition or procedure for the purpose of this sub-regulation.”;

(d) after sub-regulation 2.1.16, the following sub-regulation shall be inserted, namely: -

“2.1.17 Inspection and audit.- (1) The Food Authority shall ensure periodical inspection and food safety audit of the food businesses through its own or agencies authorised for this purpose by it.

(2) The Food Authority may provide a scheme of periodic inspection and food safety audit of the food businesses. Frequency and nature of inspections shall be determined through a dynamic risk-based mechanism, type of food business, past compliance history, third-party audit results and risk category of food handled.

(3) The Commissioner of Food Safety shall plans for periodic inspections of food businesses in the respective jurisdiction on the basis of risk associated with food and the establishment.

(4) The jurisdictional food safety officer or any officer specifically authorised by the Commissioner of Food

Safety for this purpose shall carry out inspection of the registered or licensed food business operators periodically or as decided by the Commissioner of Food Safety as specified under clause (3).

(5) The food business operator, on the direction of the Commissioner of Food Safety or the Food Authority, shall be required to get a food safety audit done by a third party auditing agency or auditors recognised by the Food Safety and Standards Authority of India, at its own cost. The food business operator shall grant access to the auditor and provide all records requested by them.”.

RAJIT PUNHANI, Chief Executive Officer

[ADVT.-III/4/Exty./748/2025-26]

Note:—The Food Safety and Standards (Licensing and Registration of Food Businesses) Regulations, 2011 were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, section 4 *vide* F. No. 2-15015/30/2010, dated the 1st August, 2011 and subsequently amended *vide* notification numbers, F. No. 2-15015/30/2012, dated the 10th June, 2014; F. No. 2-15015/30/2012, dated the 13th July, 2016; and F. No. Stds/O&F/Notification (6)/FSSAI-2017, dated the 24th October, 2017.